

## कमेटी रिपोर्ट

मैसर्स असंल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० द्वारा इण्टीग्रेटेड सिटी डूंडाहेडा जनपद गाजियाबाद उ०प्र० मे प्रस्तावित (शापिंग ए मल्टीप्लैक्स तथा होटल) एसेम्बली भवन के निर्माण हेतु उ०प्र० शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-८ के पत्र संख्या: 1821/छ:-पु०-८-६५ (रिट)/०८ दिनांक २५-०७-२००८ एवं अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: एफएस-१०७६/२०१२ दिनांक: ०५-१०-२०१२ के अनुपालन में मल्टीप्लैक्स एवं मेगा शापिंग काम्प्लैक्स इत्यादि जैसे बृहद एवं महत्त्वपूर्ण भवनों के नक्शो पर अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर हेतु कमेटी:-

- १-जिलाधिकारी गाजियाबाद अध्यक्ष।
- २-श्री पी०के०राव:- संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
- ३-श्री अमन शर्मा:- उपनिदेशक, फायर सर्विस, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
- ४-संयोजक, श्री विजय कुमार सिंह:- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद।
- ५-सदस्य, श्री अरुण कुमार सिंह:- अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद।
- ६-सदस्य, नगर नियोजक:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के नामित सदस्य।

समिति सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ०प्र० अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली-२००५ विहित न्यूनतम सुसंगत मानको के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-  
भवन का स्वरूप:-

- १-प्लॉट एरिया-१६,१५७.१६० वर्ग मी०।
- २-लोवर ग्राउण्ड कवर्ड एरिया-५,०४५.५०८ वर्ग मी० अधिभोग शाप्स एवं स्टोरेज।
- ३-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-५४८५.६०८ वर्ग मी०, अधिभोग शाप्स एंकर स्टेर।
- ४-प्रस्तावित प्रथम तल कवर्ड एरिया-५४८५.८७८ वर्ग मी०, अधिभोग शाप्स एंकर स्टेर।
- ५-प्रस्तावित द्वितीय तल कवर्ड एरिया-५८०५.५७९ वर्ग मी०, अधिभोग मल्टीप्लैक्स, इण्टरटेनमेन्ट।
- ६-प्रस्तावित तृतीय तल कवर्ड एरिया-२२२५.४०१ वर्ग मी० अधिभोग मल्टीप्लैक्स, गैस्ट हाउस।
- ७-प्रस्तावित चतुर्थ तल कवर्ड एरिया-१०५९.२१२ वर्ग मी० अधिभोग होटल।
- ८- प्रस्तावित पाँचवा एवं छटा तल कवर्ड एरिया-१०४१.६०६ वर्ग मी० प्रत्येक गैस्ट हाऊस।
- ९-प्रस्तावित बेसमेन्ट-१ एरिया-८७१३.८१७ वर्ग मी० अधिभोग पार्किंग।
- १०-प्रस्तावित बेसमेन्ट-२ एरिया-८७१३.८१७ वर्ग मी० अधिभोग पार्किंग।
- ११-भवन की ऊँचाई-३०.९५ मीटर।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन अधिभोग तीसरे तल तक मात्र मल्टीप्लैक्स माल एवं शापिंग हेतु प्रस्तावित है तथा चतुर्थ तल से उ तलों का अधिभोग होटल हेतु प्रस्तावित है जो एन०बी०सी० की मिश्रित श्रेणी कें प्रस्तर ३.४.८ के अनुसार ४ घण्टे की फायर रेटिंग से पृथक किया गया इस प्रकार एसेम्बली भवन का प्रयोग ३० मीटर से नीचे के तलो पर प्रस्तावित है।

### ढाचांगत सुरक्षा व्यवस्था:-

- १- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे ४५ मी० एवं पार्श्व भाग मे २४ मी० रोड की चौडाई अंकित की गई है जो एन०बी०सी० एवं विनियमावली मानक के अनुसार है।
- २- प्रवेश द्वार:- प्रश्नगत भवन मे प्रवेश एवं निकास द्वार की चौडाई-०९.०० मी० जो मानक के अनुसार है।
- ३- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-  
ए०-अग्रभाग-१४.०० मी०।  
बी०-पृष्ठ भाग-१४.०० मी०।  
सी०-पार्श्व भाग प्रथम-१४.०० मी०।  
डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-१४.०० मी० है।

उपरोक्तानुसार सैटबेक भवन विनियमावली एवं एन०बी०सी० मानक के अनुसार है जिनको सदैव फायर सर्विस वाहनों के सुगम आवा हेतु अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा एवं सैटबेक मे किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

४- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन मे तृतीय तल तक ०५ स्टेयर प्रस्तावित है, जिनमे ०२ स्टेयर चौडाई-२.०० मीटर एवं ०३ स्टेयर १.५० मी के प्रस्तर है तथा बेसमेन्ट मे ०६ जीनों के अतिरिक्त रैम्प प्रस्तावित है। चतुर्थ तल पर ०३ स्टेयर एवं पाँचवे व छठे तल पर ०२-०२ स्टेयर उपलब्ध है तथा नि मार्गों की फ्लोर कें समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

५- रिफ्यूज एरिया:- प्रस्तावित भवन मे २४ मीटर से उपर के तल के रूप मे भवन का टेरिस २६.३० मीटर की ऊँचाई पर प्रस्तावित है, जहाँ के स्टेयर्स का प्राविधान प्रदर्शित है।

(अमन शर्मा)

उप निदेशक फा० स०  
मेरठ

F.S.O.  
G.Z.B.

संयुक्त निदेशक  
फायर सर्विस मुख्यालय  
उ०प्र०, लखनऊ

CFD  
Ghaziabad


भवन का अधिभोग- मल्टीप्लैक्स, रिटेल शॉपिंग एवं होटल हेतु प्रस्तावित है जो एन0बी0सी0 की एसेम्बली श्रेणी डी0-6 के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्थाएँ:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ वॉच्छनीय हैं:-

- 1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।
- 3-टैरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 20,000 बीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 4-होजरील मय डाउनकामर:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप व प्राविधान एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित आई0एस0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 6-ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 7-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-समस्त प्रश्नगत भवन में ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 8-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 9-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।
- 10-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 एवं नवीनतम एन0एफ0पी0ए0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 11-प्रेशराइजेशन सिस्टम:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन समस्त निकास मार्गों का प्रेशराइजेशन एन0बी0सी0 एवं नवीनतम एन0एफ0पी0ए0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 12-अग्निशमन का प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त कि जाना वॉच्छनीय है।
- 13-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत सम्पूर्ण कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 एवं नवीनतम एन0एफ0पी0ए0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 14-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 15-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

अतः मैसर्स असंल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा इण्टीग्रेटिड सिटी डूडाहेडा जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 में प्रस्तावित (शॉपिंग, होटल एवं मल्टीप्लैक्स ) एसेम्बली भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कमेटी संस्तुति इस शर्त के साथ कर है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानक के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कि जायेगा।


सदस्य

  
(अरुण कुमार सिंह)  
अग्निशमन अधिकारी,  
कोववाली गाजि0

सदस्य


(ज्योति प्रसाद)  
नगर नियोजक  
जी0डी0ए0।

संयोजक


  
(विजय कुमार सिंह)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
गाजियाबाद।

(अमन शर्मा)

उपनिदेशक फा0स0  
मेरठ परिक्षेत्र।

  
(पी0के0राव)  
संयुक्त निदेशक फा0स0 मु0  
फायर उ0प्र0 लखनऊ।  
स.प्र०, लखनऊ

अनुमोदन

  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद